# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम की तामील हुए |
|---|---|---|
| | मंगतू कांटे बनाम अमरसिंह कांटे<br>मु.नं.– 64/24 किस्म – दावा | |

अभिभाषक श्री धर्मसिंह राजपूत ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 01, 02, 07, 09, 13, 15, 18 लगा 21, 26, 27, 30 लगा 33, 38, 39, 41 लगा 44, 46, 48, 50, 51 की तलबी जारिये Regd AD कराये एक महीने से अधिक समय हो चुका है। बार-2 आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः इनकी विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा प्रतिवादी सं. 05, 06, 08, 14, 22, 24, 28, 29, 35, 36, 40, 49 कायमी मुकाम प्रकरण प्रतिवादी सं. 46 एवं तलबी प्रतिवादी सं. 03, 11, 12, 16, 17, 23, 34, 45, 47 दिनांक 12.6.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

12/6/25 अभिभाषक के द्वारा व्यापिक कार्य स्थगन होने से व्यापिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली अनुसार दिनांक 15-7-25 को पेश हो।

15.7.25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान को पत्रावली में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पक्षकारान की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर फाइल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)